



राजस्थान सरकार
कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com
Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001



क्रमांक :- नियोजन/2023/2559

दिनांक :- 12/12/2023

कार्यवाही विवरण

ले आउट प्लान स्वीकृत करने बाबत सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर की अध्यक्षता में गठित ले आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 12/12/2023 को 11:00 बजे सचिव महोदय के कक्ष में आयोजित की गई। जिसमें निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए :-

1. श्री कैलाश चन्द्र, सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।
2. श्री मंगत राय सेतिया, अधिशाषी अभियन्ता, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।
3. श्री दीपक जांगिड़, सहायक नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।

बैठक में न्यास स्तर पर विचाराधीन ले आउट प्लान के प्रकरणों का विवरण व निर्णय निम्नानुसार है :-
एजेण्डा संख्या :- 01

क्र. स.	प्रकरण	प्रकरण के संबंध में विवरण
1	आवेदक का नाम	रिद्धि सिद्धि होम डेवलपर्स प्रा. लि. जरिये डायरेक्टर श्री मुकेश शाह पुत्र श्री शिव प्रसाद शाह निवासी दुकान नं. बी-01, 02 रिद्धि सिद्धि एन्क्लेव प्रथम, श्रीगंगानगर
2	भूमि का विवरण	चक 5 जैड मुरब्बा नं. 18 के किला नं. 6, 15, 16 व 25 प्रत्येक में 0.253 है., किला नं. 7/2, 14/2, 17/2 व 24/2 प्रत्येक में 0.1763 है. यथाकुल 1.7172 हेक्टेयर
3	स्वामित्व के संबंध में रिपोर्ट	प्रपत्र-6 में तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार स्वामित्व वैध है।
4	भूमि का भू-उपयोग 1) मास्टर प्लान वर्ष 2003-2023 2) मास्टर प्लान वर्ष 2017-2035	वर्तमान में प्रभावी नहीं है। आवेदित भूमि मास्टर प्लान 2017-2035 अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है।
5	पहुंच मार्ग की स्थिति 1) मास्टर प्लान अनुसार	नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 10.08.2020 के अनुसार 2 हेक्टर तक की आवासीय भू उपयोग के साइट प्लान / योजनाओं में न्यूनतम 40 फीट पहुंच मार्ग की बाध्यता है। आवेदित भूमि को दक्षिण दिशा से मास्टर प्लान की 60 फीट रोड से पहुंच मार्ग प्रस्तावित है। सड़क मार्गाधिकार कायम करने हेतु मार्गाधिकार में आने वाली भूमि निशुल्क समर्पित की जानी होगी। उक्त सड़क मार्गाधिकार के पश्चात् भी संबंधित विकासकर्ता द्वारा 10 फीट गहराई में अतिरिक्त भूमि सड़क मार्गाधिकार हेतु प्रस्तावित की है जिसे यथावत कायम किया जाना होगा।
	2) मौके पर विद्यमान पहुंच मार्ग	नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 10.08.

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

अधिशाषी अभियन्ता
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

सचिव
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर



राजस्थान सरकार
कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0151-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com
Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001



एजेण्डा संख्या :- 02

क्र. स.	प्रकरण	प्रकरण के संबंध में विवरण
1	आवेदक का नाम	रिद्धि सिद्धि होम डवलपर्स प्रा. लि. जरिये डायरेक्टर श्री मुकेश शाह पुत्र श्री शिव प्रसाद शाह निवासी दुकान नं. बी-01, 02, रिद्धि सिद्धि इक्वलेव-प्रथम, श्रीगंगानगर
2	भूमि का विवरण	चक 5 जैड के मुख्या न. 26 के किल्ला नं. 3/5 में 0.057 है., किला नं. 3/12 में 0.0057 है. (रास्ता), किला नं. 4/7 में 0.1628 है., किला नं. 4/14 में 0.0171 है., किला नं. 7/4 में 0.182 है., किला नं. 8/4 में 0.063 है., किला नं. 13/3 में 0.0635 है., किला नं. 14/4 में 0.182 है., किला नं. 17/4 में 0.182 है., किला नं. 18/4 में 0.0635 है., किला नं. 23/5 में 0.057 है., किला नं. 23/6 में 0.0065 है. (रास्ता), किला नं. 24/7 में 0.1638 है., किला नं. 24/8 में 0.0182 है. (रास्ता) यथाकुल 1. 2241 हेक्टेयर
3	स्वामित्व के संबंध में रिपोर्ट	प्रपत्र-6 में तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार स्वामित्व वैध है।
4	भूमि का भू-उपयोग	वर्तमान में प्रभावी नहीं है।
	1) मास्टर प्लान वर्ष 2003-2023	
	2) मास्टर प्लान वर्ष 2017-2035	आवेदित भूमि मास्टर प्लान 2017-2035 अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है।
5	पहुंच मार्ग की स्थिति	नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 10.08.2020 के अनुसार 2 हेक्टर तक की आवासीय भू उपयोग के साइट प्लान / योजनाओं में न्यूनतम 40 फीट पहुंच मार्ग की बाध्यता है। आवेदित भूमि को उत्तर दिशा से मास्टर प्लान की 60 फीट रोड से पहुंच मार्ग प्रस्तावित है। सड़क मार्गाधिकार कायम करने हेतु मार्गाधिकार में आने वाली भूमि निशुल्क समर्पित की जानी होगी। उक्त सड़क मार्गाधिकार के पश्चात् भी विकासकर्ता द्वारा 10 फीट गहराई में अतिरिक्त भूमि सड़क मार्गाधिकार हेतु प्रस्तावित की हैं जिसे यथावत कायम किया जाना होगा।
	1) मास्टर प्लान अनुसार	
	2) मौके पर विद्यमान पहुंच मार्ग	नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 10.08.2020 के अनुसार 2 हेक्टर तक की आवासीय भू उपयोग के साइट प्लान / योजनाओं में न्यूनतम 40 फीट पहुंच मार्ग की बाध्यता है। आवेदित भूमि को उत्तर दिशा से मास्टर प्लान की 60 फीट रोड से पहुंच मार्ग प्रस्तावित है। सड़क मार्गाधिकार कायम करने हेतु मार्गाधिकार में आने वाली भूमि निशुल्क समर्पित की जानी होगी। उक्त सड़क मार्गाधिकार के पश्चात् भी विकासकर्ता द्वारा 10

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

अधिशायी अभियन्ता
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

सचिव
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर



राजस्थान सरकार

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com
Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001



6	राजस्थान भू-राजस्व अधि. 1956 की धारा 90-क	फीट गहराई में अतिरिक्त भूमि सड़क मार्गाधिकार हेतु प्रस्तावित की है जिसे यथावत कायम किया जाना होगा। आवेदन सं. LU2012/SGN/2023-24/100815 दिनांक 29.08.2023 द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ आवेदित भूमि के दिनांक 17.11.2023 द्वारा 90-ए आदेश जारी है। आवासीय प्रयोजनार्थ।
7	प्रयोजन	आवेदित भूमि का ले आउट प्लान वरिष्ठ नगर नियोजक बीकानेर के कार्यालय पत्र क्रमांक बीकेजेड/2522:99/ले. आ.प्लान/2023/श्रीगंगानगर/ 1156 दिनांक 20.10.2023 द्वारा स्वीकृत है।
8	कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक बीकानेर से स्वीकृति का विवरण	आवेदित भूमि का ले आउट प्लान वरिष्ठ नगर नियोजक बीकानेर के कार्यालय पत्र क्रमांक बीकेजेड/2522:99/ले. आ.प्लान/2023/श्रीगंगानगर/ 1156 दिनांक 20.10.2023 द्वारा स्वीकृत है।
9	प्रकरण के मुख्य तथ्य	- आवेदित भूमि मास्टर प्लान 2017-2035 अनुसार किसी भी सुविधा क्षेत्र में नहीं आता है। - वर्तमान में श्रीगंगानगर मास्टर प्लान 2017-2035 अधिसूचित हो गया है अतः पूर्व मास्टर प्लान 2003-2023 अनुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है। - आवेदित भूमि का मास्टर प्लान 2017-2035 अनुज्ञेय अनुसार एवं मोके पर आवेदित भूमि पहुँचमार्ग होने के क्रम में एवं तहसीलदार राजस्व की रिपोर्ट में आवेदित भूमि के स्वामित्व की पूर्ति के के क्रम में तकनीकी दृष्टि से आगामी कार्यवाही की जा सकती है। - प्रकरण में आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व भूमि के स्वामित्व, क्षेत्रफल, सीमाओं एवं प्रस्तावों के अनुसार मोके पर भूमि की उपलब्धता की सुनिश्चितता की जानी होगी। - आवेदित भूमि को उत्तर दिशा से मास्टर प्लान की 60 फीट रोड से पहुँच मार्ग प्रस्तावित है। सड़क मार्गाधिकार कायम करने हेतु मार्गाधिकार में आने वाली अपने स्वामित्व की भूमि निःशुल्क समर्पित की जानी होगी। उक्त सड़क मार्गाधिकार के पश्चात् भी विकासकर्ता द्वारा 10 फीट गहराई में अतिरिक्त भूमि सड़क मार्गाधिकार हेतु प्रस्तावित की है जिसे यथावत कायम किया जाना होगा। - उक्त 70 फीट चौड़ी सड़क मार्गाधिकार को यथावत कायम किये जाने हेतु आवेदक/विकासकर्ता से अपने स्वामित्व की 39'-0" गुणा 160'-0" फीट भूमि सड़क मार्गाधिकार हेतु निःशुल्क समर्पित करवायी जानी प्रस्तावित है। - रक्षा क्षेत्र होने के क्रम में विभागीय आदेश दिनांक 03.09.2021 के बिन्दु सं. 03 के अनुसार रक्षा

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

अधिशोषी अभियन्ता
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

सचिव
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर



राजस्थान सरकार
कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com
Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001



		संस्थापन / स्थापन की 100 मीटर सिमा में निर्माण हेतु रक्षा विभाग के सक्षम अधिकारी से अनापत्ति लिया जाना आवश्यक है व सीमा से 100 मीटर से अधिक किन्तु 500 मीटर तक की सीमा में चार मंजिल से अधिक निर्माण हेतु रक्षा विभाग के सक्षम अधिकारी से अनापत्ति लिया जाना आवश्यक है जिसकी सुनिश्चितता विकासकर्ता के स्तर पर अपेक्षित है। प्रकरण में एकीकृत भवन विनियम-2020 के विभिन्न प्रावधानों व इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना/आदेश/परिपत्र/दिशा निर्देशों के समस्त प्रावधानों के अनुरूप आवासीय प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन इस कार्यालय की तकनीकी अभिशंषा अनुसार किया जाना होगा। आवासीय प्रयोजनार्थ अन्य भवन निर्माण के पैरामीटर्स उपरोक्त के संबंध में प्रचलित नियमों व समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों/आदेशों/परिपत्रों के प्रावधानानुसार होंगे।															
10	योजना के प्रस्तावित ले आउट प्लान में भूमि का वर्गीकरण	<table> <tr> <th>प्रयोजन</th><th>वर्गफीट</th><th>प्रतिशत</th></tr> <tr> <td>आवासीय</td><td>86160.00</td><td>65.36%</td></tr> <tr> <td>इन्फोर्मल</td><td>2640.00</td><td>2.00%</td></tr> <tr> <td>सड़क</td><td>43040.00</td><td>32.64%</td></tr> <tr> <td>कुल</td><td>131840.00</td><td>100.00%</td></tr> </table>	प्रयोजन	वर्गफीट	प्रतिशत	आवासीय	86160.00	65.36%	इन्फोर्मल	2640.00	2.00%	सड़क	43040.00	32.64%	कुल	131840.00	100.00%
प्रयोजन	वर्गफीट	प्रतिशत															
आवासीय	86160.00	65.36%															
इन्फोर्मल	2640.00	2.00%															
सड़क	43040.00	32.64%															
कुल	131840.00	100.00%															
11	अन्य तथ्य	- प्रकरण का परीक्षण राजस्थान टाउनशिप पोलिसी 2010 तथा विभागीय अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के अन्तर्गत किया गया है। अतः इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना/आदेश/ परिपत्र/ दिशा निर्देशों के समस्त प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी। - योजना में दर्शाये गये भूखण्डों पर सैट बैक्स एवं अन्य सभी मापदण्ड भवन विनियम-2020 के अनुसार रखे जाने होंगे। अनुमोदित योजना मानचित्र में आरक्षित सुविधा क्षेत्र का निस्तारण टाउनशिप पोलिसी-2010 एवं उक्त के परिपेक्ष्य में विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं/ परिपत्रों अनुसार किया जाना होगा। - सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, सौरऊर्जा संयंत्र, एल.ई.डी. व अन्य सभी प्रावधान भवन विनियम-2020 के अनुसार कायम किये जाने होंगे। - योजना में स्वीकृत इन्फोर्मल सैक्टर के भूखण्ड का निष्पादन टाउनशिप पोलिसी 2010 के प्रावधानों के															

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

अधिसूचना अभियन्ता
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

सचिव
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर



राजस्थान सरकार कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com
Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001



	संबंध में स्पष्टीकरण आदेश दिनांक 13.05.2020 अनुसार एवं समय-समय पर जारी परिपत्रों/आदेशों/अधिसूचना/ दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना होगा।
--	---

अतः उपरोक्त तथ्यों सहित प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- उपरोक्त तथ्यों सहित चक 5 जैड के गुरुवा न. 26 के किल्ला नं. 3/5 में 0.057 है., किला नं. 3/12 में 0.0057 है. (रास्ता), किला नं. 4/7 में 0.1628 है., किला नं. 4/14 में 0.0171 है., किला नं. 7/4 में 0.182 है., किला नं. 8/4 में 0.063 है., किला नं. 13/3 में 0.0635 है., किला नं. 14/4 में 0.182 है., किला नं. 17/4 में 0.182 है., किला नं. 18/4 में 0.0635 है., किला नं. 23/5 में 0.057 है., किला नं. 23/6 में 0.0065 है. (रास्ता), किला नं. 24/7 में 0.1638 है., किला नं. 24/8 में 0.0182 है. (रास्ता) यथाकुल 1.2241 हेक्टेयर भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन उपरोक्त तथ्यों सहित निम्नलिखित शर्तों/बिन्दुओं के अधीन किया जाता है :-

1. वरिष्ठ नगर नियोजक कार्यालय बीकानेर प्राप्त तकनीकी स्वीकृति अनुसार एवं ले आउट प्लान समिति के निर्णय में वर्णित शर्तों की पूर्ति/पालना हेतु विकासकर्ता से शपथ पत्र लिया जावे।
2. स्वीकृत ले आउट प्लान अनुसार भूखण्डों का क्षेत्रफल के वर्गीकरण के आधार पर सैट बैक्स, ऊचाई एवं आच्छादित क्षेत्रफल भवन विनियम 2020 की तालिका अनुसार देय होगा।

नोट :- योजना के कॉर्नर के भूखण्डों पर नियमानुसार गोलाई (रिडियस) छोड़कर ही निर्माण किया जावेगा।

3. योजना में स्वीकृत इन्फॉर्मल सेक्टर के भूखण्ड का निष्पादन टउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों के संबंध में स्पष्टीकरण आदेश दिनांक 13.05.2020 एवं विभागीय परिपत्र दिनांक 10.08.2020 के अनुसार किया जाना होगा।
4. आवेदित योजना में प्रस्तावित भूखण्डों पर निर्माण किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।
5. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान व नोटिफिकेशन दिनांक 03.04.2017 में वर्णनानुसार 2 हेक्टेयर तक की प्लॉट्स डवलमेन्ट योजनाओं में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत के बराबर भूमि की राशि ईडब्ल्यूएस/एलआईडी हेतु विकासकर्ता से आवासीय आरक्षित दर से गणना कर राशि लिये जाने का प्रावधान है। उपरोक्त योजना में आवासीय क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत क्षेत्रफल की आरक्षित दर से राशि 90 दिवस में जमा करवाई जानी होगी। उक्त अवधि के पश्चात जमा करवाये जाने वाली राशि पर 15 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूल किया जावेगा। (विभागीय आदेश क्रमांक प.18(36) नविवि/ एन.ए.एच. पी. 2014 पार्ट दिनांक 04.05.2017)
6. योजना की समस्त सड़कें, पार्क व खुला क्षेत्र न्यास में निहित होगा।
7. योजना में वेस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा।
8. योजना की आन्तरिक सड़कों के विकास में ऊर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं एलईडी लाइट का उपयोग किया जावेगा।
9. योजना के आन्तरिक विकास कार्य, यथा सड़कें, नालियां, विद्युत व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, सीवरेज एवं पेयजल आदि के समस्त कार्य टउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानानुसार निर्धारित अवधि 24 माह में किये जाने अनिवार्य होंगे। निर्धारित अवधि में उपरोक्त विकास कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में 10 प्रतिशत शास्ति के (Total Prevailing

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

अधिसूची अभियन्ता
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

सचिव
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर



राजस्थान सरकार कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com
Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

15

- Conversion Charges) साथ अधिकतम अवधि 2 वर्ष तक नियमानुसार न्यास स्तर से बढ़ाई जा सकेगी।
- उपरोक्त योजना का राजस्थान रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन एण्ड डवलपमेन्ट) रूल्स 2017 के तहत पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य होगा।
 - विभागीय अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के प्रावधान 7.02 अनुसार योजना में टेलिकोम इन्फ्रास्ट्रक्चर टावरस् हेतु स्थल आरक्षित रखते हुए निष्पादन विभागीय अधिसूचना/आदेशानुसार किया जाना होगा।
 - स्वीकृत योजना में भूखण्डों की संख्या का अंकन व्यवस्थित रूप से किये जाने एवं योजना के नामकरण हेतु अनुमोदित ले आउट प्लान की प्रति मय एम्पावर्ड समिति के बैठक कार्यवाही विवरण की प्रति नियोजन शाखा द्वारा विकासकर्ता/खातेदार को शर्तों/नियमों की पालना हेतु उपलब्ध करवाई जावे।
 - टाउनशिप पॉलिसी - 2010 एवं इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना/आदेश/परिपत्र/दिशा निर्देशों के समस्त प्रावधानों की पालना करनी होगी तथा नियमानुसार आवश्यक सभी शुल्क न्यास कोष में जमा करवाने होंगे।
 - राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, राजस्थान जयपुर का परिपत्र दिनांक 31.12.2020 की पालना में योजना का वैध संचालन हेतु प्रदूषण मण्डल की सम्मति, न्यास से अधिवास प्रमाण पत्र जारी किये जाने से पूर्व प्राप्त कर प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी तथा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, राजस्थान जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों/परिपत्रों/आदेशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
 - प्रस्तावित पार्किंग को यथावत कायम किया जाना होगा।
 - नगरीय विकास विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक प.3(77)नवि/3/2010पार्ट-VIII जयपुर के दिनांक 30.11.2021 अनुसार उक्त लेआउट प्लान स्वीकृत किया जाता है।
 - योजना क्षेत्र में विभागीय आदेश क्रमांक प.3(77)नवि/3/2009 पार्ट-IV जयपुर दिनांक 27.12.2022 द्वारा टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत City Gas Distribution Station Pressure regulating station/District regulating station स्थापित करने हेतु नवीन प्रावधान लागू होंगे।
 - राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.4(1)आरजे/रेरा/2017/पार्ट/467 दिनांक 14.03.2023 विकासकर्ता/खातेदार द्वारा सुनिश्चितता स्वीकृति होगी।
 - आवेदित भूमि रक्षा क्षेत्र के 100 मीटर के दायरे में होने के कारण विभागीय आदेश दिनांक 03.09.2021 के बिन्दु सं. 03 के अनुसार रक्षा संस्थापन / स्थापन की 100 मीटर सीमा में निर्माण हेतु रक्षा विभाग के सक्षम अधिकारी से अनापत्ति लिया जाना आवश्यक है। अतः रक्षा विभाग से एनओसी उपरान्त ही रक्षा क्षेत्र के 100 मीटर के दायरे में ले आउट प्लान में दर्शित भूखण्डों का सृजन मान्य होगा तथा विभागीय आदेशानुसार 100 मीटर से अधिक किन्तु 500 मीटर तक की सीमा में चार मंजिल से अधिक निर्माण हेतु रक्षा विभाग के सक्षम अधिकारी से अनापत्ति लिया जाना अनिवार्य होगा।

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

अधिसूचना अभियन्ता
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

सचिव
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर



कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

राजस्थान सरकार
Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com
Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001



क्रमांक :- नियोजन/2024/ 2758- 2760

दिनांक :- 24/01/2024

प्रमाण-पत्र

खातेदार/विकासकर्ता रिद्धि सिद्धि होम डवलपर्स प्रा. लि. जरिये डायरेक्टर श्री मुकेश शाह पुत्र श्री शिव प्रसाद शाह निवासी दुकान नं. बी-01, 02 रिद्धि सिद्धि एन्क्लेव प्रथम, श्रीगंगानगर (राज.) द्वारा आवेदित भूमि वाके चक 5 जैड के मुरब्बा नं. 26 के किल्ला नं. 3/5 में 0.057 है., किला नं. 3/12 में 0.0057 है. (रास्ता), किला नं. 4/7 में 0.1628 है., किला नं. 4/14 में 0.0171 है., किला नं. 7/4 में 0.182 है., किला नं. 8/4 में 0.063 है., किला नं. 13/3 में 0.0635 है., किला नं. 14/4 में 0.182 है., किला नं. 17/4 में 0.182 है., किला नं. 18/4 में 0.0635 है., किला नं. 23/5 में 0.057 है., किला नं. 23/6 में 0.0065 है. (रास्ता), किला नं. 24/7 में 0.1638 है., किला नं. 24/8 में 0.0182 है. (रास्ता) यथाकुल 1.2241 हैक्टैयर भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ की राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क की कार्यवाही न्यास आवेदन संख्या LU2012/SGN/2023-24/100815 दिनांक 29.08.2023 द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ आवेदित भूमि के दिनांक 17.11.2023 द्वारा 90-ए आदेश जारी है। आवेदित भूमि का ले आउट प्लान यरिष्ठ नगर नियोजक बीकानेर के कार्यालय पत्र क्रमांक बीकेजेड/2522:99/ले.आ./2023/श्रीगंगानगर/1156 दिनांक 20.10.2023 द्वारा तकनीकी स्वीकृति के क्रम में न्यास स्तर पर गठित ले आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 12.12.2023 द्वारा स्वीकृत है। खातेदार द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर उक्त योजना का नाम "रिद्धि सिद्धि एन्क्लेव-7 सेक्टर-2 जी ब्लॉक" रखा गया है।

नगरीय विकास विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना एवं परिपत्रानुसार विकासकर्ता की आवेदित भूमि (लेखाशाखा की गणना अनुसार जारी माँग पत्र क्रमांक नियोजन/2023/2678 दिनांक 08.01.2024 में अंकित राशि) के बाह्य विकास शुल्क की राशि 12,24,800/- रुपये में से 20 प्रतिशत की छूट की राशि 2,44,960/- रुपये कम करते हुए शेष राशि 9,79,840/- रुपये, मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधानानुसार डीएलसी दर से राशि 16,08,750/- रुपये एवं बीएसयूपी फंड राशि 2,06,250/- रुपये यथाकुल राशि 27,94,840/- रुपये जरिये स्वीड संख्या 17/1704 दिनांक 11.01.2024 द्वारा न्यास कोष में जमा है।

खातेदारान द्वारा आन्तरिक विकास के समस्त कार्य नियत समयावधि में कार्य पूरा न होने की दशा में रहन शुद्धा भूखण्ड, (भूखण्ड संख्या G-21, G-22, G-23, G-24, G-25, G-26, G-27, G-30 Each Size 25'-0" X 60'-0" Feet, G-28 Size 28'-0" X 60'-0" Feet, G-29 Size 30'-0" X 60'-0" Feet, Total 10 Resi. Plot) न्यास द्वारा विक्रय करके आन्तरिक विकास कार्य करवाने बाबत कॉलोनाईजर्स/खातेदार ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त तथ्यों व कॉलोनाईजर्स/खातेदार रिद्धि सिद्धि होम डवलपर्स प्रा. लि. जरिये डायरेक्टर श्री मुकेश शाह पुत्र श्री शिव प्रसाद शाह निवासी दुकान नं. बी-01, 02 रिद्धि सिद्धि एन्क्लेव प्रथम, श्रीगंगानगर (राज.) द्वारा प्रस्तुत अप्रडेंटिफिंग और मौका निरीक्षण समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्न शर्तों के साथ प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है :-

- स्वीकृत ले आउट प्लान के अनुसार समस्त आन्तरिक विकास कार्य बिजली, पानी, सड़कें, स्ट्रीट लाईट, नाली, पार्क (लाईट, झुले, बैच, घास, पेड़-पौधे आदि), होर्टिकल्चर आदि का निर्माण स्वयं कॉलोनाईजर्स/खातेदार को स्वयं के खर्च पर नियत समयावधि में पूर्ण करवाने होंगे। न्यास उपरोक्त किसी भी प्रकार के विकास कार्य एवं उक्त हेतु व्यय करने हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।
- ऑवर हैड वाटर टैंक, वर्षा जल नालिया एवं सीवरज का कार्य स्वयं खातेदार/कॉलोनाईजर्स के स्तर पर करवाया जावेगा तथा इन कार्यों के विरुद्ध न्यास से किसी प्रकार की कोई मांग इत्यादि नहीं की जावेगी। स्वीकृत ले आउट प्लान अनुसार आन्तरिक विकास कार्य एवं उपरोक्त वर्णित कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही उक्त रहन रखे गये भूखण्डों को रहन मुक्त किया जावेगा।
- योजना में नियत समयावधि में आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण नहीं होने की दशा में न्यास द्वारा रहनशुद्धा भूखण्डों को विक्रय किया जाकर आन्तरिक विकास कार्य करवाये जा सकेंगे। इस बाबत खातेदार/कॉलोनाईजर माननीय न्यायालय एवं अन्य विभागों में कोई वाद विवाद या क्लेम हेतु कोई दावा/उजर प्रस्तुत नहीं करेंगे।
- स्वीकृत ले आउट प्लान अनुसार भूखण्डों का क्षेत्रफल के वर्गीकरण के आधार पर सैट बैक्स, ऊचाई एवं आच्छादित क्षेत्रफल भवन विनियम 2020 की तालिका अनुसार देय होगा। नोट :- योजना के कॉर्नर के भूखण्डों पर नियमानुसार गोलाई (रेडियस) छोड़कर ही निर्माण किया जावेगा।
- आवेदित भूमि को उत्तर दिशा से मास्टर प्लान की प्रस्तावित 70 फीट चौड़ी सड़क को यथावत कायम किये जाने हेतु सड़क मार्गाधिकार में आने वाली अपने स्वामित्व की 39'-0" गुणा 160'-0" फीट भूमि निःशुल्क जरिये शपथ पत्र समर्पित की है। सड़क अलाईन्मेन्ट व मार्गाधिकार में आने वाली भूमि का विकास/निर्माण विकासकर्ता/आवेदक द्वारा स्वयं के स्तर पर किया जावेगा। इस बाबत न्यास से किसी प्रकार के कोई मुआवजे आदि की मांग नहीं करेंगे इस हेतु आप बाध्य रहेंगे।
- आवेदित भूमि में से यदि कोई खाला गुजर रहा हो तो खाले के संबंध में नियमानुसार सुरक्षात्मक दुरी उपरांत ही भूखण्डों का सृजन मान्य होगा एवं नियमानुसार राज्य सरकार के आदेशों तथा मॉडल भवन विनियम-2020 के निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप भूमि खुली रखी जाते हुए अथवा खाले के उपर से आवागमन हेतु आवश्यक पुल के निर्माण की संबंधित विभाग से अनुमति प्राप्त कर समस्त उत्तरदायित्व/सुरक्षात्मक उपाय विकासकर्ता/आवेदक द्वारा स्वयं के स्तर पर अपनाये जावेंगे।
- आवेदित भूमि से यदि कोई विद्युत लाईन गुजर रही हो तो नियमानुसार सुरक्षात्मक दुरी उपरांत ही भूखण्डों का सृजन मान्य होगा एवं नियमानुसार राज्य सरकार के आदेशों तथा मॉडल भवन विनियम-2020 के निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप भूमि खुली रखी जाते हुए सुरक्षात्मक उपाय विकासकर्ता/आवेदक द्वारा स्वयं के स्तर पर अपनाये जावेंगे। जिसकी समस्त जिम्मेवारी हमारी स्वयं की होगी।
- योजना में स्वीकृत इन्फॉर्मल सैक्टर के भूखण्ड माप Informal A, B Each Size 22'-0" X 60'-0" Feet = Total 2 Informal (2640 वर्गफीट) का निष्पादन टाउनशिप पोलिसी 2010 के प्रावधानों के संबंध में स्पष्टीकरण आदेश दिनांक 13.05.2020 एवं विभागीय परिपत्र दिनांक 10.08.2020 के अनुसार किया जाना होगा।



राजस्थान सरकार कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- ult_sgnr@yahoo.com
Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001



- यह है कि आवेदित भूमि के पूर्व एवं दक्षिण दिशा में रक्षा क्षेत्र स्थित है। रक्षा क्षेत्र होने के क्रम में विभागीय आदेश दिनांक 03.09.2021 के बिन्दु सं. 03 के अनुसार रक्षा संस्थापन/स्थापन की सीमा से 100 मीटर के अन्दर किसी भी प्रकार के निर्माण हेतु तथा 100 मीटर से अधिक किन्तु 500 मीटर तक की सीमा में चार मंजिल से अधिक निर्माण हेतु रक्षा विभाग के सक्षम अधिकारी से अन्नापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही रक्षा क्षेत्र की सीमा के 100 मीटर की परिधि में आने वाले भूखण्डों का नियमन किया जावे एवं रक्षा विभाग से 100 मीटर से 500 मीटर की परिधि में आने वाले भूखण्डों पर 15 मीटर से अधिक निर्माण स्वीकृति रक्षा विभाग की एनओसी उपरान्त ही अनुज्ञेय होगी इस हेतु आप बाध्य रहेंगे।
- आवेदित योजना में प्रस्तावित भूखण्डों पर निर्माण किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।
- अनुमोदित योजना मानचित्र में सड़क हेतु आरक्षित भूमि नियमानुसार न्यास को समर्पित करते हैं। आवेदित भूमि में स्वीकृत सड़क हेतु आरक्षित भूखण्ड का उपयोग जन सुविधाओं (पब्लिक यूटिलिटी) हेतु किया जाएगा एवं उक्त भूखण्ड का निष्पादन राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार न्यास स्तर पर जारी निर्देशानुसार ही किया जावेगा।
- राजस्थान टाउनशिप पोलिसी-2010 अनुसार नियत अवधि में उपर्युक्तानुसार समस्त विकास कार्य पूर्ण होने तक कमेटी की अनुशंसा एवं कॉलोनाईजर्स/खातेदार द्वारा प्रस्तुत अण्डर टैकिंग के अनुसार (भूखण्ड संख्या G-21, G-22, G-23, G-24, G-25, G-26, G-27, G-30 Each Size 25'-0" X 60'-0" Feet, G-28 Size 28'-0" X 60'-0" Feet, G-29 Size 30'-0" X 60'-0" Feet, Total 10 Resi. Plot) नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर के पास बन्धक रहन रहेंगे। कॉलोनाईजर्स/खातेदार द्वारा किये गये विकास कार्यों के प्रमाणीकरण अनुसार रहनशुद्धा भूखण्ड को रहन मुक्त किया जायेगा।
- योजना की समस्त सड़कें न्यास में निहित होंगी।
- योजना में लेस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा।
- योजना की आन्तरिक सड़कों के विकास में ऊर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं एलईडी लाइट का उपयोग किया जावेगा।
- योजना के आन्तरिक विकास कार्य, यथा सड़कें, नालियां, विद्युत व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, सीवरेज एवं पेयजल आदि के समस्त कार्य टाउनशिप पोलिसी 2010 के प्रावधानानुसार निर्धारित अवधि 24 माह में किये जाने अनिवार्य होंगे। निर्धारित अवधि में उपरोक्त विकास कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में 10 प्रतिशत शास्ति के (Total Prevailing Conversion Charges) साथ अधिकतम अवधि 2 वर्ष तक नियमानुसार न्यास स्तर से बढ़ाई जा सकेगी।
- उपरोक्त योजना का राजस्थान रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन एण्ड डवलपमेन्ट) रूल्स 2017 के तहत पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य होगा।
- विभागीय अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के प्रावधान 7.02 अनुसार योजना में टेलिकोम इन्फ्रास्ट्रक्चर टावरस् हेतु स्थल आरक्षित रखते हुए निष्पादन विभागीय अधिसूचना/आदेशानुसार किया जाना होगा।
- टाउनशिप पोलिसी-2010 एवं इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना/आदेश/परिपत्र/दिशा-निर्देशों के समस्त प्रावधानों की पालना करनी होगी तथा नियमानुसार आवश्यक सभी शुल्क न्यास कोष में जमा करवाने होंगे।
- योजना क्षेत्र में विभागीय आदेश क्रमांक प.3(77)नवि/3/2009 पार्ट-IV जयपुर दिनांक 27.12.2022 द्वारा टाउनशिप पोलिसी 2010 के अन्तर्गत City Gas Distribution Station Pressure regulating station/District regulating station स्थापित करने हेतु नवीन प्रावधान लागू होंगे।
- राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ. 4(1)आरजे/रेरा/2017/पार्ट/467 दिनांक 14.03.2023 विकासकर्ता/खातेदार द्वारा सुनिश्चितता की जानी होगी।

सचिव
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

उपरोक्त सभी शर्तें मेरे/हमारे द्वारा पढ़ व समझ ली गई हैं, जिनकी पूर्ण जानकारी मेरी/हमारी निजी जानकारी अनुसार है एवं सत्य है। उपरोक्त सभी शर्तें मुझे/हमें मंजूर एवं मान्य है तथा उपरोक्त वर्णित सभी शर्तों की पालना मेरे/हमारे स्वयं के स्तर पर की जावेगी।

सहमती हस्ताक्षर
(खातेदार/कॉलोनाईजर्स)

क्रमांक :- नियोजन/2024/
प्रतिलिपि :-

दिनांक :-

- खातेदार/विकासकर्ता रिद्धि सिद्धि होम डवलपर्स प्रा. लि. जरिये डायरेक्टर श्री मुकेश शाह पुत्र श्री शिव प्रसाद शाह निवासी दुकान नं. बी-01, 02 रिद्धि सिद्धि एन्क्लेव प्रथम, श्रीगंगानगर (राज.)।
- नियमन शाखा न्यास, श्रीगंगानगर को उक्त रहन रखे गये भूखण्डों का रूपान्तरण नहीं करने एवं रहन रखे गये भूखण्डों तथा उक्त योजना में नियमन किये गये भूखण्डों का अलग से रजिस्टर सम्पूर्ण विवरण सहित संधारित करने बाबत।

सचिव
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार

नगर नियोजन विभाग,

कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर

क्रमांक:-बीकेजेड/2522:99/ले.आ./2023/श्रीगंगानगर/1156

दिनांक:-20/10/23

सचिव

नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर।

विषय :- आवेदक रिद्धि-सिद्धि होम डवलपर्स प्रा0लि0 जरिये डायरेक्टर श्री मुकेश शाह पुत्र श्री शिव प्रसाद शाह द्वारा चक 5 जैड मु.नं. 26 के किला नंबर 4, 7, 8, 13, 14, 17, 18, 23 व 24 की यथाकुल 1.2241 है0 भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान स्वीकृति के संबंध में तकनीकी राय बाबत।

संदर्भ :-आपके कार्यालय के पत्रांक 2055 दिनांक 22.09.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आपके कार्यालय द्वारा आवेदक रिद्धि-सिद्धि होम डवलपर्स प्रा0लि0 जरिये डायरेक्टर श्री मुकेश शाह पुत्र श्री शिव प्रसाद शाह निवासी श्रीगंगानगर द्वारा चक 5 जैड मुख्या नंबर 26 के किला नंबर 3/5 में 0.057 है0, किला नंबर 3/12 में 0.0057 है0 (रास्ता), किला नंबर 4/7 में 0.1628 है0, किला नंबर 4/14 में 0.0171 है0, किला नंबर 7/4 में 0.182 है0, किला नंबर 8/4 में 0.063 है0, 13/3 में 0.0635 है0, किला नंबर 14/4 में 0.182 है0, किला नंबर 17/4 में 0.182 है0, किला नंबर 18/4 में 0.0635 है0, 23/5 में 0.057 है0, किला नंबर 23/6 में 0.0065 है0 (रास्ता), किला नंबर 24/7 में 0.1638 है0, किला नंबर 24/8 में 0.0182 है0, (रास्ता), यथाकुल 1.2241 है0 भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान स्वीकृति के संबंध में तकनीकी राय बाबत प्रकरण कार्यालय को प्रेषित किया गया है। प्रश्नगत भूमि का भू-उपयोग श्रीगंगानगर मास्टर प्लान 2017-2035 अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ प्रावधानित है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज अनुसार आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग 15 फीट चौड़े कच्चे रास्ते से प्राप्त हो रहा है, जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान अनुसार 60 फीट चौड़ा प्रस्तावित है। उक्त सड़क को आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि में से 10 फीट अधिक प्रस्तावित कर कुल 70 फीट चौड़ी सड़क प्रस्तावित की गई है। विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ.3(77)यूडीएच/3/2010 पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2020 द्वारा 90-ए की कार्यवाही हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम विद्यमान चौड़ाई 12 मीटर उपलब्ध होना अनिवार्य है, अर्थात् किसी भी प्रकरण में 90-ए की कार्यवाही एवं ले-आउट/साईट प्लान अनुमोदन हेतु विद्यमान पहुंच मार्ग की मध्य रेखा से दोनों ओर न्यूनतम 6 मीटर (अर्थात् कुल 12 मीटर) चौड़ाई की भूमि सड़क हेतु खुली उपलब्ध होनी आवश्यक है। प्रश्नगत भूमि के दक्षिणी-पूर्वी दिशा में रक्षा क्षेत्र विद्यमान है।

प्रकरण में संलग्न योजना मानचित्र में रुपान्तरण योग्य क्षेत्रफल 131840.00 वर्गफीट है, जिसमें आवासीय भूखण्डों का क्षेत्रफल 86160.00 वर्गफीट (65.36 प्रतिशत), इनफॉर्मल सैक्टर का क्षेत्रफल 2640.00 वर्गफीट (02.00 प्रतिशत) एवं सड़कों का क्षेत्रफल 43040.00 वर्गफीट (32.64 प्रतिशत) प्रस्तावित किया गया है। योजना मानचित्र न्यास के कनिष्ठ प्रारूपकार एवं सहायक नगर नियोजक द्वारा प्रमाणित हैं।

प्रस्तुत संलग्न योजना मानचित्र की योजना सीमा "ए" से "डी" के अन्तर्गत कुल भूमि 131840.00 वर्गफीट रुपान्तरण योग्य भूमि के आवासीय प्रयोजनार्थ योजना मानचित्र को अनुमोदन हेतु स्थानीय स्तरीय ले-आउट प्लान समिति के समक्ष निम्न शर्तों के साथ प्रस्तुत किये जाने की अभिशंका की जाती है:-

1. प्रकरण का परीक्षण राजस्थान टाऊनशिप पॉलिसी 2010, मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 एवं विभागीय अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के अन्तर्गत किया गया है। अतः इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना/आदेश/परिपत्र/दिशा निर्देशों के समस्त प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।

सम्पर्क - भूखण्ड सं. 01, गाँधीनगर, लालगढ़, बीकानेर - 334001, दूरभाष संख्या 0151-2542102,

ई-मेल आईडी - townplanningbikaner@rediffmail.com

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ

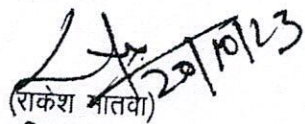
राजस्थान सरकार
नगर नियोजन विभाग,
कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर

2. विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ.3(77)यूडीएच/3/2010 पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2020 अनुसार न्यूनतम सड़क मार्गाधिकार की सुनिश्चितता करते हुए मारटर प्लान की प्रस्तावित 80 फीट चौड़ी सड़क के मध्य से 30 फीट चौड़ाई (मुख्या लाईन के मध्य से) की भूमि सड़क प्रयोजनार्थ समर्पित करते हुए शेष भूमि पर योजना का क्रियान्वयन किया जाना आवश्यक है।
3. प्रश्नगत भूमि के दक्षिणी-पूर्वी दिशा में रक्षा क्षेत्र विद्यमान है। अतः विभागीय परिपत्र क्रमांक प. 11(9)नविवि/2020 दिनांक 03.09.2021 द्वारा रक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित रक्षा संस्थापन/स्थापना की सीमा से लगते हुए क्षेत्र में निर्माण किये जाने के संबंध में किये गये प्रावधानों की पालना निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जानी अपेक्षित है।
4. योजना के आस-पास स्वीकृत/अस्वीकृत योजनाओं की सड़कों के मिलान, सड़कों के अलाईन्मेन्ट व मार्गाधिकार की सुनिश्चितता निकाय स्तर से अपेक्षित है।
5. भवन विनियम के अनुसार सड़क पर खतरनाक अथवा सुविधाजनक मोड़ (नुकड़) होने पर परिषद को नुकड़ के भवन के भवन स्वामी को यह निर्देश देने का अधिकार होगा कि वह भवन के नुकड़ को अथवा मोड़ पर बाउण्ड्री की दीवार को ऐसा गोलाकार बना दे जैसा कि [REDACTED] द्वारा ठीक समझा जाये। प्रकरण में उक्त प्रावधान की पालना सुनिश्चित की जाये।
6. आवेदित योजना में प्रस्तावित भूखण्डों पर निर्माण किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त की जानी होगी।
7. योजना में स्वीकृत इनफॉर्मल सैक्टर के भूखण्डों का निष्पादन टाउनशीप पालिसी 2010 के प्रावधानों के सम्बन्ध में जारी आदेशों के अनुसार किया जावे।
8. आवेदित स्थल में से कोई विद्युत लाईन गुजर रही हो तो उसे अन्यत्र स्थानांतरित करवाना होगा अथवा उक्त विद्युत लाईन हेतु राज्य सरकार के आदेशों तथा मॉडल भवन विनियम-2020 के निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप भूमि खुली रखी जाते हुए सुरक्षात्मक उपाय अपनाये जाने की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर अपेक्षित है।
9. प्रश्नगत भूमि प्रतिबंधित क्षेत्र जैसे नदी, नाले, जलाशय के बहाव/जल भराव/डूब क्षेत्र से प्रभावित तो नहीं है, की सुनिश्चितता स्थानीय निकाय द्वारा की जावे।
10. मौके पर आवेदित भूमि की सीमाओं का प्रस्तुत मानचित्र, राजस्व रिकॉर्ड अनुसार भौतिक सत्यापन व प्रमाणीकरण सुनिश्चित किया जावे एवं यदि योजना सीमा का मौके पर मिलान नहीं हो पा रहा हो तो इस कार्यालय द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृति को स्वतः ही निरस्त समझा जावे।
11. इस कार्यालय द्वारा प्रकरण में केवल तकनीकी राय प्रेषित की जा रही है। भूमि में मौके पर जाँच, भू-स्वामित्व की जाँच एवं आवेदित भूमि किसी प्रकार के निषेध क्षेत्र अथवा राजकीय भूमि का भाग नहीं हो की सुनिश्चितता की जानी अपेक्षित होगी।

उक्त राय पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं आपके कार्यालय की अभिशंषा के आधार पर प्रदान की जा रही हैं।

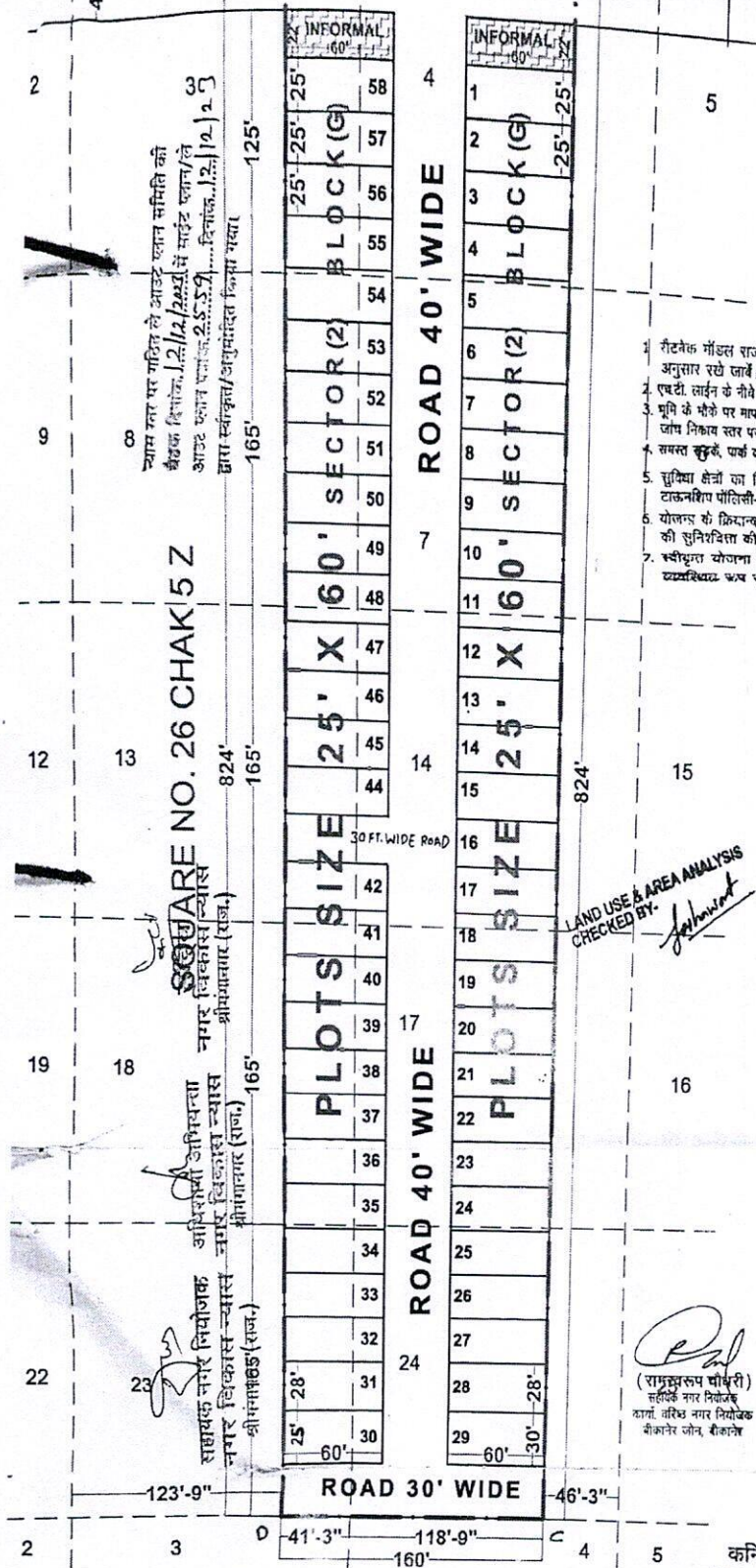
भवदीय

संलग्न : अनुमोदित योजना मानचित्र की दो प्रतियां।


(राकेश मातवा)

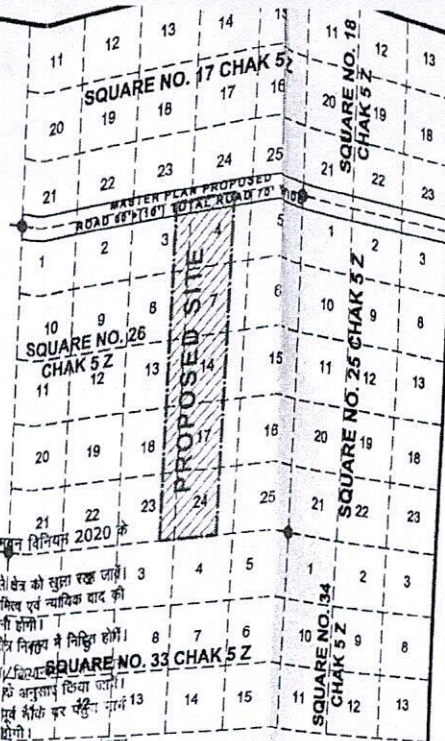
वरिष्ठ नगर नियोजक,
बीकानेर जोन, बीकानेर

MASTER PLAN PROPOSED ROAD 60' + (10') TOTAL ROAD 70' WIDE



LAY OUT PLAN

LAYOUT PLAN OF KILLA NO. 3,4,7,8,13,24,17,18,23,24(EACH PART)
SQUARE NO. 26 CHAK 5 Z AT Teh. & Dist. SRI GANGANAGAR



PART OF CHAK PLAN

REFERENCE :-

1. SCHEME AREA SHOWN THUS :-
2. KILLA LINE SHOWN THUS :-
3. SQUARE POINT SHOWN THUS :-
4. SCHEME AREA :- 131840.00 Sq. Ft. OR 1.2241 Hect.
5. SCALE 1" = 64'

LAND USE ANALYSIS :- TOTAL LAND 131840.00 Sq. Ft.

S. NO.	PARTICULAR	AREA IN Sq.ft.	%TAGE
1	RESIDENTIAL	86160.00 Sq.ft.	65.36 %
2	INFORMAL	2640.00 Sq.ft.	2.00 %
3	ROAD	43040.00 Sq.ft.	32.64 %
	TOTAL	131840.00 Sq. Ft.	100.00 %

"Atod"
LAYOUT PLAN / BUILDING PERM TECHNICALLY
APPROVED WITH CONDITIONS VIDE THIS OFFICE
LETTER NO. 1156 DATED 20/10/23

(राजेश कुमार चौधरी)
सहायक नगर निवेशक
कानून, वरिष्ठ नगर निवेशक
श्रीगंगानगर (राज.)

(मनीष कुमार)
उप नगर निवेशक
कानून, वरिष्ठ नगर निवेशक
श्रीगंगानगर (राज.)

(राजेश चौधरी)
वरिष्ठ नगर निवेशक
नगर निवेशक विभाग
श्रीगंगानगर (राज.)

कनिष्ठ प्रालयकार
नगर विकास न्यास
श्रीगंगानगर (राज.)

सहायक नगर निवेशक
नगर विकास न्यास
श्रीगंगानगर (राज.)



RECEIPT NO.



URBAN IMPROVEMENT TRUST

SRI GANGANAGAR-335001 (Raj.)

Dated

11-1-24

Received from Shri

Rajendra Singh Samalgar

a sum of Rs. (In words)

24,918.00

on account of

5237 26

for the period

01-04-2023 to 31-03-2024

Demand slip No.

20182

Dated

in full payment of

Rs.

2794840/-

Cashier

1608750

Head of Office

06250

2794840

U.I.T. Form 4 (See Rule 50)

Book No.

1704